संगठन (लघु जल संसाधन विभाग) की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्त्तव्य

(1) 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानेवाली सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं, यथा, लघु सिंचाई योजना, उद्‌वह सिंचाई योजना, बराज उद्‌वह सिंचाई योजना, निजी एवं राजकीय नलकूप सिंचाई योजना आदि का सूत्रीकरण, गठन, निर्माण, संचालन एवं संधारण।

(2) पारंपरिक सिंचाई योजनायें, यथा, आहर, पईन आदि का संचालन एवं संधारण।

(3) भू–गर्भ जल के न्यायोचित उपयोग का विनियमन।

(4) भू–गर्भ जल का पुनर्भरण (रीचार्ज)।

(5) भू–गर्भ/सतही जल संसाधनों का सर्वेक्षण।

(6) भू–गर्भ जल योजनाओं का विकास।

(7) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पनवट कर का निर्धारण, वसूली और लेखा।

(8) लघु सिंचाई योजनाओं का अनुसंधान, अनुश्रवण अन्वेषण, रूपांकन, योजना एवं निर्माण।

(9) विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियन्त्रण।

(10) विभाग के अधीन सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(11) बिहार राज्य जल विकास निगम तथा बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम का नियंत्रण।

(कार्यपालिका नियमावली 1979 के अनुसार)